न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 27/24 (वाद)
GCMS No. : 2024/57

अनवान

1. श्री भगवानलाल पिता मुणा जी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)

............वादी

बनाम्

1. श्री कंकु पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, हाल मुकाम सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री राजुलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गट्टु पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), पति डालु जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी पुटोल, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री चुन्नीलाल पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्री हालु पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्री भैरू पिता गुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री गुरा पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती मांगीबाई पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), पति रामाजी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी खेड़ी, फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री मांगीलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)
10. श्री गाधुलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री रग्भा पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), [illegible] रूपा जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सालोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

12. श्री रामलाल पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्दः जिला राजसमन्द (राज.)
13. श्री लालुराम पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
14. श्री लालु पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी कालुराम जाट, आयु वयस्क, निवासी बडियार तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती टम्मुबाई पत्नी हेमा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्री सोहन पिता हेमा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री हीरा पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
19. श्रीमती हीराबाई पत्नी पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
20. श्री वरदा पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी वडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्रीमती झनकु पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), पति बंशीलाल कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सालोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
22. श्रीमती मोहनी पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), पति भंवर जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी जावठ तहसील घासा, जिला राजसमन्द (राज.)
23. श्री शिवलाल पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
24. श्री गणेश पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
25. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय जी मावली, जिला उदयपुर (राज.)
26. पटवारी, पटवार क्षेत्र बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री कैलाश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादी सं. 25, 26

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 18.10.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडियार पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 2039/757, 756 किता 2 रकबा 0.3885 हेक्टेयर, परिशष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 770, 771 किता 2 रकबा 0.0729 हेक्टेयर, परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 755, 757, 769, 772 किता 4 रकबा 0.5584 हेक्टेयर, परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 768, 774 किता 2 रकबा 0.1052 हेक्टेयर।

2. यह कि वादपत्र के परिशिष्ट (1) में भगु पुत्री गुणा हिस्सा 1/28 जाति कुम्हार (प्रजापति), परिशिष्ट (2) में भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन हिस्सा 1/14 जाति कुम्हार, परिशिष्ट (3) में भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) व भगुड़ा पुत्र मोहन हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति). परिशिष्ट (4) में भगु पुत्री मुणा हिस्सा 1/28 जाति कुम्हार के रूप में वादी का नाम संयुक्त खातेदार काश्तकार के रूप में वर्तमान में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी इन्द्राज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 24 के नाम पर दर्ज है, जिससे उन्हें इस मामले में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

3. यह कि वादपत्र के परिशिष्ट 01 से 04 में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी के नाम अंकित कृर्षि भूमि मेरी पैतृक कृर्षि भूमि है, जो मुझ वादी को मेरे पिता से विरासत में प्राप्त हुई है और मैं वादी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी पैतृक सम्पत्ति पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हूँ तथा अन्य खतेदारान भी अपने हक हिस्सानुसार भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहें है।

4. यह कि वादपत्र के परिशिष्ट 01 से 04 में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी का नाम भगु पुत्री मुणा जाति कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार, भगु उर्फ भ[illegible] मुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार (प्रजापति) व भगुड़ा पुत्र मोहन जाति कु[illegible] (प्रजापति) में भगु पुत्री मुणा जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

कुम्हार अंकित है, जबकि मेरा वास्तविक सही नाम भगवानलाल पुत्र मुणा कुम्हार है। लेकिन मुझ वादी को परिवार के लोग प्रेमवश घरेलु बोलचाल में भगु एवं भगुड़ा नाम से ही पुकारते थे, इसलिए मुझ वादी के पिता के निधनोपरान्त जब उक्त भूमि मुझ वादी एवं अन्य वारिसान के नाम पर विरासत से दर्ज की गई, उस समय मुझ वादी के परिवार के सदस्यों ने मेरा नाम भगु उर्फ भगुड़ा अंकित करवा दिया, जिससे राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम भगु उर्फ भगुड़ा अंकित हो गया और वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में भी अनवरत यही नाम ही अंकित चला आ रहा है जबकि मेरा वास्तविक सही नाम भगवानलाल पुत्र गुणा कुम्हार है एवं मुगुणाजी का मैं वादी पुत्र हैं। फिर भी परिशिष्ट 01 से 04 के रेकार्ड में गुझ वादी को गुणाजी की पुत्री अंकित कर दिया है। मुझे वादी के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आयकर विभागद्वारा जारी पेनकार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जनआधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड, फोटो पहचानपत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में भी स्पष्ट रूप से मेरा नाम भगवानलाल पुत्र मुणा ही अंकित है।

5. यह कि वादपत्र के परिशिष्ट 01 से 04 में वर्णित आराजीयात में मुझ बादी का नाम गलत इन्द्राज हो जाने से एवं परिशिष्ट 01 व 04 मुझ वादी को मुणा की पुत्री होना अंकित हो जाने से मुझ वादी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और गलत इन्द्राज होने से में वादी अपनी उक्त कृषि भूमि का समुचित रूप से विकास करने हेतु वित्तीय संस्थाओं, बैंक इत्यादि से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा हूँ और इससे मुझ वादी को भारी मानसिक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तथा वर्तमान में वाद वर्णित कृषि भूमि हाईवे रोड़ में अवाप्तिधीन है जिससे संबंधित कार्यवाही एवं प्रकिया में भी मैं वादी समुचित रूप सम्मिलित नही हो पा रहा हूँ। इसलिए मैं वादी वादपत्र के परिशिष्ट 01 से 04 में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम क्रमशः भगु पुत्री मुणा जाति कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार, भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार (प्रजापति) व भगुड़ा पुत्र मोहन जाति कुम्हार (प्रजापति) में भगु पुत्री मुणा जाति कुम्हार के बजाय भगवानलाल पुत्र मुणा कुम्हार घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ, जिसके [illegible] वादपत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला है, क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि में घरेलु बोलचाल वाला मेरा नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम भगवानलाल पुत्र मुणा कुम्हार ही हैं और इसी नाम से मुझ वादी के सभी राजकीय एवं अराजकीय दस्तावेज बने हुए है और मैं वादी स्वर्गीय मुणा जी का जायन्दा पुत्र हुँ। इसलिए वर्तमान जमाबन्दी में अंकित मेरे नाम के बजाय भगवानलाल पिता मुणा कुम्हार नाम अंकन किये जाने की घोषणा करने से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति एवं असुविधा नही होगी। बल्कि उपरोक्त अनुसार घोषणा नही होने से मुझ वादी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा आंकना असम्भव होगा। सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

7. यह कि मुझ वादी को याद कारण 18/10/2023 को उत्पन्न हुआ जब मुझ यादी ने मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत चल रही अवाप्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही एवं प्रकिया में भाग लेने हेतु मेरी खातेदारी को जमीन की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब गलत नाम दर्ज होने का ज्ञान हुआ तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि :— (अ) कि वादपत्र के परिशिष्ट 01 से 04 में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी का नाम क्रमशः भगु पुत्री मुणा जाति कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र गुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार, भगु उर्फ भगुड़ा पुत्र मुणा उर्फ मोहन जाति कुम्हार (प्रजापति) व भगुड़ा पुत्र मोहन जाति कुम्हार (प्रजापति) में भगु पुत्री मुणा जाति कुम्हार के बजाय भगवानलाल पुत्र मुणा कुम्हार का अंकन किये जाने की घोषणा फरमायी जाकर इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने की डिक्री फरमायी जायें। (ब) कि अन्य दाद जिसे वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी पाया जावें वह भी वादी को प्रदान कराई जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 से 24 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। [illegible] स्वयं ही प्रतिवादी सं. 1 से 24 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। [illegible] ऐसे मे प्रतिवादी सं. 1 से 24 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
India
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती है। प्रतिवादी सं. 25, 26 राजपेरोकार द्वारा स्वीकारात्मक जवाब मय पटवारी हल्का बडियार की रिपोर्ट पेश कर भगु उर्फ भगुडा पिता मुणा उर्फ मोहन के बजाय भगवानलाल पिता मुणा कुम्हार संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

10. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री भगवानलाल पिता मुणा कुम्हार स्वयं वादी, पीडब्ल्यू 2 श्री लालुराम पिता मुणा कुम्हार प्रतिवादी सं. 14, पीडब्ल्यू 3 श्रीमी शान्तादेवी पत्नी भगवानलाल कुम्हार, पीडब्ल्यू 4 श्री नारूलाल पिता वक्तावर गुर्जर, पीडब्ल्यू 5 श्री गणेश पिता केशा कुम्हार प्रतिवादी सं. 24 के शपथ पत्र पेश किये।

11. प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेज ग्राम पंचायत बडियार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ग्रा. प./विविध दिनांक 24.07.2024, वादी भगवानलाल का पेन कार्ड की प्रति, वादी भगवानलाल के आधार कार्ड की प्रति, वादी भगवानलाल के मतदाता पहचान पत्र की प्रति, वादी भगवानलाल के भामाशाह कार्ड की प्रति, वादी भगवानलाल के राशन कार्ड की प्रति पेश की।

12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी के वाद को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 372 किता 2 कुल रकबा 0.3885 हेक्टेयर, खाता सं. 98 किता 2 कुल रकबा 0.0729 हेक्टेयर, खाता सं. 340 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हेक्टेयर एवं खाता सं. 229 किता 2 कुल रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम क्रमशः भगु पुत्री मुणा कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार, भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार (प्रजापति), भगुडा पुत्र मोहन कुम्हार (प्रजापति) एवं भगु पुत्री मुणा कुम्हार दर्ज है जिसे संशोधित करा भगवानलाल पुत्र मुणा कुम्हार दर्ज किये जाने का निवेदन किया क्योंकि वादी के कथनानुसार प्रेमवश घरेलू बोलचाल में भगु एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puhadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

भगुडा नाम से ही पुकारते थे, जिसके कारण राजस्व रेकार्ड में भी यही नाम अंकित कर दिया गया। राजपेरोकार द्वारा भी जवाब पेश कर नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की। न्यायालय पूर्णतः इस तथ्य से सहमत है कि ग्रामीण परिवेश में व्यक्तियों को संक्षिप्त नामों से पुकारा जाते है जैसे भगु, मगु, जगु आम प्रचलित हैं जबकि उनके दस्तावेजो में नाम भगु का भगवानलाल, जगु का जगराम, मगु का मगनीराम पाये जाते हैं। इस प्रकरण में भी वादी को संक्षिप्त नाम भगु, भगुडा के नाम से पुकारे जाने से राजस्व रेकार्ड में भी संक्षिप्त नाम ही अंकन कर दिया गया हैं। वादी द्वारा वाद के समर्थन में सहखातेदारो की सहमति, ग्राम पंचायत बडियार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, वादी के पक्ष में पंजीकृत बिकावनामें में वादी के हस्ताक्षर, वादी के वाद के समर्थन में पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति के आधार पर वादी का नाम भगवानलाल पिता मुणा कुम्हार दर्ज होना जाहिर आया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता सं. 372 किता 2 कुल रकबा 0.3885 हेक्टेयर, खाता सं. 98 किता 2 कुल रकबा 0.0729 हेक्टेयर, खाता सं. 340 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हेक्टेयर एवं खाता सं. 229 किता 2 कुल रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम क्रमशः भगु पुत्री मुणा कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार, भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार (प्रजापति), भगुडा पुत्र मोहन कुम्हार (प्रजापति) एवं भगु पुत्री मुणा कुम्हार के बजाय भगवानलाल पिता मुणा उर्फ मोहन कुम्हार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भगवानलाल पिता मुणा जी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)

...........वादी

बनाम्

1. श्री कंकु पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, हाल मुकाम सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री राजुलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गट्टु पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), पति डालु जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी पुटोल, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री चुन्नीलाल पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्री हालु पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्री भैरू पिता गुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री गुरा पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती मांगीबाई पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), पति रामाजी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी खेड़ी, फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री मांगीलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)
10. श्री गाधुलाल पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री रम्भा पिता रूपा कुम्हार (प्रजापति), पति रूपा जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सालोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

12. श्री रामलाल पिता पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्दः जिला राजसमन्द (राज.)
13. श्री लालुराम पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
14. श्री लालु पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी कालुराम जाट, आयु वयस्क, निवासी बडियार तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती टम्मुबाई पत्नी हेमा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्री सोहन पिता हेमा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री हीरा पिता कना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
19. श्रीमती हीराबाई पत्नी पन्ना कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी सागंठ, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
20. श्री वरदा पिता मुणा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी वडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्रीमती झनकु पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), पति बंशीलाल कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी सालोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
22. श्रीमती मोहनी पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), पति भंवर जी कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी जावठ तहसील घासा, जिला राजसमन्द (राज.)
23. श्री शिवलाल पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
24. श्री गणेश पिता केसा कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
25. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय जी मावली, जिला उदयपुर (राज.)
26. पटवारी, पटवार क्षेत्र बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 27/24 (वाद)
GCMS No. : 2024/57

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 372 किता 2 कुल रकबा 0.3885 हेक्टेयर, खाता सं. 98 किता 2 कुल रकबा 0.0729 हेक्टेयर, खाता सं. 340 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हेक्टेयर एवं खाता सं. 229 किता 2 कुल रकबा 0.1052 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम क्रमशः भगु पुत्री मुणा कुम्हार (प्रजापति), भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार, भगु उर्फ भगुडा पुत्र मुणा उर्फ मोहन कुम्हार (प्रजापति), भगुडा पुत्र मोहन कुम्हार (प्रजापति) एवं भगु पुत्री मुणा कुम्हार के बजाय भगवानलाल पिता मुणा उर्फ मोहन कुम्हार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.10.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:34:01 IST
Reason: SelfAttested